



कार्यालय, प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी
पं. खुशीलाल शर्मा, शासकीय (स्वशासी) आयुर्वेद महाविद्यालय एवं संस्थान,
(साइन्स हिल्स, मैनिट के पीछे, भोपाल)

e-mail: principal@kispaci.edu.in
Office Phone: 0755-2970310

Website: http://kispaci.edu.in
Hospital Phone: 0755-2970319



क्रमांक / 2022 / छात्रकक्ष / 1371-75

भोपाल, दिनांक: 21/07/2022

-:: आदेश ::-

मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर की अधिसूचना क्रं./थीसिस/2022/4389, दिनांक 19.07.2022 के अनुक्रम में संस्थान में अध्ययनरत एम.डी (आयुर्वेद) पाठ्यक्रम प्रवेश सत्र 2019-2022 के स्नातकोत्तर अध्येताओं को आदेशित किया जाता है कि, वे एम.डी (आयुर्वेद) थिसिस की 02 हार्डकॉपी तथा 02 सॉफ्ट कॉपी एवं 02 CD/DVD in pdf format 5000KB size, व 02 Pen Drive में एकजाई कर pdf format में दिनांक 19.08.2022 सायं 05:00 बजे तक संस्थान कार्यालय छात्र कक्ष में अनिवार्य रूप से जमा करना सुनिश्चित करें। साथ ही थिसिस में संलग्न किये जाने वाले समस्त हस्ताक्षरित प्रमाण-पत्र की 01 प्रति अनिवार्य रूप से छात्रकक्ष में जमा करें। थिसिस संबंधित शुल्क विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित निम्नानुसार है :-

क्रं.	दिनांक	शुल्क
01	19.08.2022 सायं 05:00 बजे तक	2000.00/-

उपरोक्त निर्धारित शुल्क स्थानीय लेखा कक्ष में जमा कर थिसिस के साथ जमा की गई शुल्क रसीद अवश्य संलग्न करें।

नोट:- Plagiarism नहीं की गई है से संबंधित प्रमाण पत्र संलग्न किया जाना आवश्यक है। प्रमाण पत्र पर अधिष्ठाता/प्रधानाचार्य/विभागध्यक्ष/थीसिस गाईड एवं को-गाईड के हस्ताक्षर आवश्यक है।

(डॉ० उमेश शुक्ला)

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी

पृ०क्र० / 2022 / छात्रकक्ष /

भोपाल, दिनांक: /07/2022

प्रतिलिपि:- निम्नांकित की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

1. रजिस्ट्रार, मध्यप्रदेश आयुर्विज्ञान विश्वविद्यालय, जबलपुर म०प्र०।
2. विभागध्यक्ष, संहिता सिद्धांत/रचना शारीर/क्रिया शारीर/द्रव्यगुण विज्ञान/रसशास्त्र एवं नैषज्य कल्पना/रोग निदान एवं विकृति विज्ञान/स्वस्थ्यवृत्त/कायचिकित्सा/पंचकर्म विभाग स्थानीय महाविद्यालय संस्थान की ओर भेजकर लेख है कि थिसिस से संबंधित गाईड-कोगाईड को सूचित कर समय पर थिसिस कार्यालय में जमा करवाना सुनिश्चित करें।
3. लेखा कक्ष, स्थानीय संस्थान।
4. सूचना पटल स्थानीय संस्थान पर चरपा हेतु।

प्रधानाचार्य एवं मुख्य कार्यपालन अधिकारी